एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7285/2006
छाजूराम व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

30.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री राजेन्द्र सोनी, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।
श्री बी.एस.छाबा, उप राजकीय अधिवक्ता।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय द्वारा एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4063/2002 जगदीश व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 13.9.2006 की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि यह मामला उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है।

उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने पूर्व में एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3374/2005 छोटू व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 5.5.2006 का आधार लेते हुए अयाचीगण को निर्देश दिया था कि उक्त निर्णय में दिये गये अनुतोष याची को प्रदान किये जावें।

तदनुसार ही इस रिट याचिका में भी अयाचीगण को निर्देश दिया जाता है कि एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3374/2005 छोटू व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 5.5.2006 में दिये गये निर्देश याचीगण के मामले में भी समान रुप से लागू होंगे। निर्णय की प्रति अयाचीगण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से दो माह की अवधि में याचीगण को ऐसे अनुतोष प्रदान किये जावें। यह याचिका इसी प्रकार निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति